भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 937

(जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत उपयोग की गई धनराशि

937. श्री पी.पी. चौधरी:

श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित देश भर में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा कितनी धनराशि अप्रयुक्त रह गई;

(ख) क्या कुछ कंपनियां अपनी सीएसआर निधि का उपयोग धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, अस्पताल स्थापित करने तथा जनसंपर्क बनाए रखने आदि पर कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार सीएसआर निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या किसी सार्वजनिक उपक्रम ने राजस्थान के पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियां शुरू की हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा राज्यवार सीएसआर व्यय अनुबंध-I में संलग्न है।

(ख) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है।

अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादित करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सरकार कंपनियों को किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र अथवा कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं करती है।

कंपनी बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना भी अपेक्षित है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(5) के तहत कंपनी बोर्ड को स्वयं को यह स्पष्ट करना होगा कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित प्रयोजनों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है और मुख्य वित्तीय अधिकारी अथवा वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा। इस प्रकार, मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा के प्रावधान आदि के साथ-साथ कारपोरेट अभिशासन ढांचा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यकलापों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।

सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसमें लेखा परीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना आवश्यक है।

सीएसआर से संबंधित प्रकटन कंपनियों द्वारा एमसीए 21 पोर्टल में फाइल किए जाते हैं। जब कभी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, तो रिकार्डों की विधिवत जांच करने और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन न करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ङ): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले दो वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2021-22 और 2022-23 के दौरान राजस्थान के पाली जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा खर्च किया गया सीएसआर निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ रु में)

कंपनी की प्रकृति	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**कुल योग**
पीएसयू	0.41	2.26	2.68

31.03.2024 तक डेटा [स्रोत: कारपोरेट डेटा मैनेजमेंट सेल]

******

अनुलग्नक- I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 937 के उत्तर में 29.07.2024 के लिए संलग्नक का संदर्भ

राज्य-वार सीएसआर व्यय आंकडे (राशि करोड़ में)				
क्रमांक	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	अंडमान और निकोबार	2.86	9.71	2.53
2	आंध्र प्रदेश	719.81	656.79	954.65
3	अरुणाचल प्रदेश	10.58	119.42	13.35
4	असम	180.23	406.17	470.25
5	बिहार	89.89	165.97	235.37
6	चंडीगढ़	13.40	50.88	18.63
7	छत्तीसगढ़	325.63	305.29	596.11
8	दादरा और नगर हवेली	21.98	14.11	13.71
9	दमन और दीव	5.25	4.13	9.40
10	दिल्ली	724.59	1,196.34	1,483.91
11	गोवा	41.92	45.43	58.16
12	गुजरात	1,461.60	1,604.26	2,008.42
13	हरियाणा	550.86	683.95	701.07
14	हिमाचल प्रदेश	106.31	140.22	138.63
15	जम्मू और कश्मीर	35.56	50.68	71.22
16	झारखंड	226.54	193.33	388.35
17	कर्नाटक	1,277.81	1,839.73	1,985.82
18	केरल	290.67	239.73	351.60
19	लक्षद्वीप	0.01	0.45	0.02
20	लेह और लद्दाख	-	14.84	11.72
21	मध्य प्रदेश	375.51	427.68	656.42
22	महाराष्ट्र	3,464.81	5,380.41	5,497.32
23	मणिपुर	10.39	15.62	53.45
24	मेघालय	17.63	19.63	21.73
25	मिजोरम	0.97	6.94	10.99
26	नागालैंड	3.57	12.46	13.57
27	ओडिशा	578.16	670.32	987.70
28	अन्य केंद्रीकृत फंड	3,491.30	1,613.57	948.81
29	पुडुचेरी	12.43	9.31	12.55
30	पंजाब	158.46	184.89	247.57
31	राजस्थान	670.00	711.82	1,102.37
32	सिक्किम	17.28	28.24	36.18
33	तमिलनाडु	1,174.07	1,432.06	1,562.48
34	तेलंगाना	627.71	685.87	1,007.54
35	त्रिपुरा	9.29	15.91	19.26
36	उत्तर प्रदेश	907.32	1,339.18	1,152.57
37	उत्तराखंड	160.58	228.08	301.11
38	पश्चिम बंगाल	471.48	567.21	762.29
39	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	169.47	0.52	20.12
40	पैन इंडिया**	7,805.03	5,525.16	6,060.98
कुल		26,210.95	26,616.30	29,987.92

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

* अन्यत्र कवर नहीं (एनईसी)

**कंपनियों ने या तो उन राज्यों के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए अथवा एक से अधिक राज्यों का उल्लेख किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****